

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2015–16

1. विभागीय गतिविधियाँ

परिवहन विभाग में मोटर यान अधिनियम–1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम–1989 व राजस्थान मोटरयान नियम–1990, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम–1951 एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान मोटरयान कराधान नियम–1951, राजस्थान नौकायन विनियमन अधिनियम–1956 एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान नौकायन विनियमन नियम–1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय गतिविधियाँ एवं कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

विभाग द्वारा राज्य में मोटरयानों के लिए नियमन, नियंत्रण, पंजीयन, करारोपण एवं वसूली, जनसुविधा हेतु नवीन मार्गों का निर्धारण एवं विस्तार, जनता को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मोटरयानों, टैक्सियों, भार वाहनों आदि को अनुज्ञापत्र प्रदान करना, सड़क सुरक्षा के प्रति अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना की क्रियान्विति, वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाय आदि कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

2. विभागीय संगठन

परिवहन विभाग के विभागाध्यक्ष परिवहन आयुक्त हैं जो प्रमुख शासन सचिव भी हैं। वर्तमान में विभाग में 6 पद क्रमशः अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) जो संयुक्त शासन सचिव (मुख्यालय) भी हैं, अपर परिवहन आयुक्त (सदर्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार) जो संयुक्त शासन सचिव (परिवहन) भी हैं, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), अपर परिवहन आयुक्त (नियम/प्रशिक्षण), अपर परिवहन आयुक्त (रेल्वे प्रकोष्ठ, कर एवं प्रदूषण नियंत्रण) एवं अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा, एस.टी.ए. एवं आर.टी.ए.) मुख्यालय पर सृजित हैं। मुख्यालय में संयुक्त परिवहन आयुक्त के 3 पद यथा नियम, कर/प्रदूषण नियंत्रण/रेल्वे समन्वय एवं याचिका के सृजित हैं। मुख्यालय पर ही उप परिवहन आयुक्त के 5 पद यथा प्रशासन, यो.वि, प्रवर्तन, सड़क सुरक्षा/एस.टी.ए./आर.टी.ए. एवं आधुनिकीकरण/टी.ए. के सृजित हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यालय पर सिस्टम एनालिस्ट, सहायक परिवहन आयुक्त, सहायक निदेशक (सांख्यिकी), सहायक विधि परामर्शी, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर का एक-एक पद तथा जिला परिवहन अधिकारी के दो पद सृजित हैं। जोधपुर में उपायुक्त याचिका का एक पद सृजित है। इसके अतिरिक्त राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के लिये एक पद अपर परिवहन आयुक्त एवं एक पद संयुक्त परिवहन आयुक्त के सृजित हैं।

लेखा सेवा के अन्तर्गत मुख्यालय पर वित्तीय सलाहकार तथा उप वित्तीय सलाहकार का एक-एक पद सृजित है। उनके सहयोग के लिए एक वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं तीन लेखाधिकारी के पद सृजित हैं। मुख्यालय पर सहायक लेखाधिकारी के 7 पद सृजित हैं, जिनमें से एक ड्राफ्ट शाखा तथा 6 आन्तरिक जाँच का कार्य करते हैं।

परिवहन सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं परिवीक्षण हेतु राज्य को परिवहन की दृष्टि से 12 संभागों एवं 53 जिलों में विभाजित किया गया है। दो प्रमुख कर संग्रह केन्द्रों शाहजहाँपुर एवं रतनपुर में भी जिला परिवहन अधिकारी के पद सृजित हैं। इसके अतिरिक्त 5 रीजन में संयुक्त परिवहन आयुक्त के पद सृजित हैं तथा शेष 7 रीजन में एक-एक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद सृजित हैं, ये प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के पदेन सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। इनकी सहायता हेतु जयपुर एवं जोधपुर में दो-दो तथा शेष संभागों यथा अलवर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, दौसा, पाली, भरतपुर एवं चित्तौड़गढ़ में एक-एक अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद सृजित हैं। प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों के मुख्यालय एवं उनके अन्तर्गत आने वाले परिवहन जिले निम्नानुसार हैं—

क्र.सं.	क्षेत्र	जिलों की संख्या	परिवहन जिला
1.	जयपुर	5	जयपुर, दूदू, कोटपूतली, चौमूँ शाहपुरा
2.	दौसा	3	दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली
3.	सीकर	4	सीकर, झुंझुनूँ चूरू, सुजानगढ़
4.	अजमेर	7	अजमेर, टोंक, नागौर, ब्यावर, डीडवाना, किशनगढ़, केकड़ी
5.	अलवर	3	अलवर, भिवाड़ी, शाहजहाँपुर (कर संग्रह केन्द्र)
6.	भरतपुर	2	भरतपुर, धौलपुर
7.	जोधपुर	5	जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, फलौदी
8.	पाली	5	पाली, सिरोही, जालौर, आबूरोड़, भीनमाल
9.	उदयपुर	5	उदयपुर, वांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमन्द, रतनपुर (कर संग्रह केन्द्र)
10.	चित्तौड़गढ़	4	चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा
11.	कोटा	5	कोटा, बूँदी, झालावाड़, बारां, रामगंजमण्डी
12.	बीकानेर	5	बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नोहर, नोखा
योग		53	

इसके अतिरिक्त अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर 37 कर संग्रह केन्द्र स्वीकृत है। आमजन की सुविधा के लिए बड़े कसबों में 26 उप परिवहन कार्यालय स्वीकृत हैं। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर एवं जोधपुर के पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा वर्ग के अधिकारी पदस्थापित हैं तथा शेष पर परिवहन सेवा के अधिकारी कार्यरत हैं। जिलों में परिवहन सम्बन्धी कार्यों के सुचारा रूप से सम्पादन के लिए विभाग में कुल 77 जिला परिवहन अधिकारी, 290 परिवहन निरीक्षक एवं 371 परिवहन उप निरीक्षक के पद सृजित हैं।

3. परिवहन प्राधिकार

मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 एवं राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के अन्तर्गत निम्नांकित प्राधिकार कार्यरत हैं—

3.01 राज्य परिवहन प्राधिकार

राज्य परिवहन प्राधिकार का गठन मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकार के कार्यों के साथ प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों के क्रियाकलापों और नीतियों को रामन्वित एवं नियमित करने हेतु किया गया है। यह प्राधिकार परिवहन व्यवस्था सम्बन्धी प्रकरणों पर नीति निर्धारण का कार्य करता है। राज्य परिवहन प्राधिकार एक सदस्यीय प्राधिकार है एवं परिवहन आयुक्त इसके सदस्य हैं।

3.02 प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार गठित किया हुआ है, जो उस क्षेत्र में मोटर वाहनों के संचालन पर सामान्य नियंत्रण रखने का कार्य करता है, यह प्राधिकार भी एक सदस्यीय है। मुख्यालय पर सृजित एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त को सभी क्षेत्रों के लिए सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार नियुक्त किया हुआ है।

3.03 राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 89 के अन्तर्गत राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण का गठन किया गया है। यह अधिकरण राज्य एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारों द्वारा पारित आदेशों एवं प्रस्तावों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपीलों व निगरानियों की सुनवाई करता है।

4. परिवहन व्यवस्था

विकास का मुख्य आधार सुगम, सुलभ एवं गतिशील परिवहन व्यवस्था है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी भौगोलिक विशेषताओं के कारण यात्री व माल परिवहन हेतु सड़क मार्ग का विशेष महत्व है। राज्य की जनसंख्या, क्षेत्रफल, सड़क लम्बाई, पंजीकृत मोटर वाहन, प्रति हजार व्यक्तियों पर उपलब्ध मोटर वाहन, प्रति 100 मोटरयान पर उपलब्ध सड़क लम्बाई एवं प्रति 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में उपलब्ध सड़क लम्बाई का जिलेवार तुलनात्मक विवरण सारणी – 3 में दिया गया है।

4.01 यात्री परिवहन

- (1) राज्य में यात्री परिवहन— राज्य के विभिन्न मार्गों पर निजी व राज्य पथ परिवहन निगम की बसें यात्रा सेवायें प्रदान कर रही हैं। दिसम्बर 2015 तक राज्य परिवहन निगम की 4545 (अनुबन्धित बसों सहित) बसें संचालित हैं। निजी क्षेत्र की बसों हेतु 42227 स्टेज कैरिज परमिट प्रभावी हैं। इनमें उप नगरीय एवं सिटी बस के परमिट भी शामिल है, इनका विवरण सारणी – 7 में अंकित है। इसके अतिरिक्त टीर्थाटन, मेले, सामाजिक एवं धार्मिक उत्सव, पर्यटन, मनोरंजन एवं शहरी यातायात की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न श्रेणियों के बस, मिनीबस, टैक्सी केब, ऑटोरिक्षा, टैम्पों आदि संविदा वाहनों को स्थाई परमिट जारी किये गये हैं, जिनका विवरण सारणी संख्या – 8 में अंकित है। यात्री सेवा के विस्तार हेतु इरा वर्ष माह अप्रैल से दिसम्बर 2015 तक की अवधि में 5553 स्टेज कैरिज परमिट जारी किये गये हैं इसके अतिरिक्त 24585 नये कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जारी किये गये हैं इनमें 641 बस/मिनीबस, 11890 टैक्सी-मैक्सी केब तथा 12054 तिपहिया यात्री वाहनों के हैं, जिनका विवरण सारणी – 9 में दिया गया है। यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2015–16 में माह फरवरी, 16 तक 193 नये मार्ग खोले गये हैं।
- (2) अंतर्राज्यीय यात्री परिवहन— पड़ोसी राज्यों के विभिन्न शहरों तक राज्य के यात्रियों की सुविधा हेतु अन्तर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था के लिए राज्य सरकार का निम्नांकित पड़ोसी राज्यों से पारस्परिक समझौता प्रभावी है—
- | | | | |
|---------------|-----------|------------------|----------------|
| 1. दिल्ली | 2. पंजाब | 3. हरियाणा | 4. उत्तरप्रदेश |
| 5. मध्यप्रदेश | 6. गुजरात | 7. हिमाचल प्रदेश | 8. उत्तराखण्ड |
| 9. महाराष्ट्र | | | |

इन समझौतों के अन्तर्गत शामिल मार्गों का विवरण निम्नानुसार हैः—

राज्य	मार्गों की संख्या	अन्य राज्यों की बसों द्वारा राजस्थान में संचालित कि.मी.	राजस्थान की बसों द्वारा अन्य राज्यों में संचालित कि.मी.
राजस्थान — दिल्ली	73	26990.00	14486.00
राजस्थान — पंजाब	174	30426.62	31164.00
राजस्थान — हरियाणा	404	123446.00	133876.00
राजस्थान — उत्तर प्रदेश	138	37010.00	36466.00
राजस्थान — मध्य प्रदेश	299	56689.00	60387.00
राजस्थान — हिमाचल प्रदेश	10	1280.00	1050.00
राजस्थान — गुजरात	153	40208.00	40140.00
राजस्थान — उत्तराखण्ड	23	3417.00	2424.00
राजस्थान — महाराष्ट्र	13	1024.00	2950.00

राज्य से गुजरने वाले 8149.00 कि.मी. लम्बे 38 राष्ट्रीय उच्च मार्गों का विवरण सारणी — 24 में दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्यों में बसों के संचालन हेतु अन्तर्राज्यीय अनुबन्ध राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य किया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है—

राज्य	मार्गों की संख्या	अन्य राज्यों की बसों द्वारा राजस्थान में संचालित कि.मी.	राजस्थान की बसों द्वारा अन्य राज्यों में संचालित कि.मी.
राजस्थान — दिल्ली	5	2584	2542
राजस्थान — हरियाणा	17	6728	2446
राजस्थान — यू.पी.	4	456	314

(3) ग्रामीण परिवहन योजना— परिवहन सेवाओं के विस्तार योजनान्तर्गत परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को तहसील/जिला मुख्यालयों से जोड़ने की योजना राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा के सम्बन्ध में अब तक निगम द्वारा 19 जिलों की 1379 ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ा गया है जिनमें पी.पी.पी.आधार पर 366 ग्रामीण वाहन संचालित की जा रही है।

4.02 पर्यटन विकास योजना

देश के विभिन्न मार्गों पर पर्यटकों को भ्रमण कराने हेतु आरामदायक डीलक्स वातानुकूलित बसों, ओमिनी बसों तथा नई टैक्सी गाड़ियों को अखिल भारतीय

पर्यटक अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं। इनको दिये जाने वाले परमिटों की संख्या की कोई सीमा तय नहीं है, जिससे पर्यटन पूर्व की अपेक्षा अधिक सुगम हो गया है। आमजन एवं पर्यटन से जुड़े लोगों की सुविधा के लिए विभाग में अखिल भारतीय पर्यटन अनुज्ञापत्र जारी करने की शक्तियों का मुख्यालय से प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में विकेन्द्रीकरण किया गया है।

4.03 लोक भार वाहन

केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुज्ञा—पत्र प्रणाली को उदार बनाकर परिवहन उद्योग में उत्तरोत्तर नव उद्यमियों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है, जिससे अन्तर्राज्यीय परिवहन भी निर्बाध हो गया है। अब 16500 रूपये कर की राशि लेकर पूरे देश में आवागमन हेतु भार वाहनों को नेशनल परमिट जारी किये जाते हैं। यह कार्य भूतल परिवहन क्षेत्र में निःसंदेह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। इसके फलस्वरूप राज्य में प्रभावी नेशनल परमिटों की संख्या दिसम्बर, 2015 तक 139528 हो गई है जिसका क्षेत्रवार विवरण सारणी – 10 में दर्शाया गया है।

5. मोटरयानों का पंजीयन

मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत बने राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के अधीन जिला परिवहन अधिकारी, सम्बन्धित जिले के लिये मोटरयानों का पंजीयन अधिकारी होता है। जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये वाहन निर्माता कम्पनी के अधिकृत वाहन डीलर्स को भी उनके द्वारा बेचे गये वाहनों के पंजीयन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। राज्य में दिसम्बर, 2015 तक कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 13350646 है, जिसका जिलेवार ब्यौरा सारणी संख्या – 21 में दर्शाया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान दिसम्बर, 15 तक नये पंजीकृत वाहनों की संख्या 971627 है, जिसमें 31825 ट्रक, 3658 बस तथा शेष 936144 हल्के मध्यम एवं अन्य वाहन हैं (सारणी – 23)। गत वर्ष इसी अवधि में पंजीकृत वाहनों की संख्या 917793 थी जिनमें 28085 ट्रक व 3109 बस शामिल हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान पंजीकृत वाहनों का जिलेवार ब्यौरा सारणी संख्या – 22 में दर्शाया गया है। राज्य में पंजीकृत वाहनों में 1062213 व्यावसायिक वाहन (7.96 प्रतिशत) एवं 12288433 अव्यावसायिक वाहन (92.04 प्रतिशत) हैं जिनका विवरण सारणी संख्या – 4 में दर्शाया गया है।

6. चालकों तथा परिचालकों को लाइसेंस

चालकों एवं परिचालकों को लाइसेंस देने का कार्य मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत जिला परिवहन अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्पन्न किया जाता है। विभाग में

चालक लाइसेंस का कार्य 'सारथी' सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के दौरान माह दिसम्बर, 15 तक 635484 अव्यावसायिक एवं 37306 व्यावसायिक इस प्रकार कुल 672790 नये चालक लाइसेंस जारी किये गये तथा 320707 का नवीनीकरण किया गया। इस अवधि में 737239 लर्निंग लाइसेंस बनाये गये। लर्निंग लाइसेंस के लिए टैस्ट में 41074 एवं स्थाई लाइसेंस हेतु परीक्षण में 18607 व्यक्तियों को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। जारी किये गये लाइसेंस का जिलेवार और सारणी संख्या – 5 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में 1355 अन्तर्राष्ट्रीय चालक परमिट भी जारी किये गये हैं।

7. परिवहन यानों का यांत्रिक निरीक्षण

परिवहन यानों का यांत्रिक निरीक्षण का कार्य समस्त जिला एवं उप परिवहन कार्यालयों में किया जाता है। नया वाहन क्रय करने के दो वर्ष बाद हर वर्ष यांत्रिक निरीक्षण कराना आवश्यक होता है। परिवहन यानों का निरीक्षण करने पर फिट पाये जाने वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में फिटनेस सेन्टर संचालित करने के लिए योजना 'फिझॉ' तैयार की गई है। इसके अनुसार निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले फिटनेस केन्द्रों को वाहनों की फिटनेस की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है। वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 15 तक 267909 परिवहन वाहनों का निरीक्षण कर फिटनेस प्रमाण—पत्र दिये गये हैं, जिनका जिलेवार और सारणी संख्या – 6 में दर्शाया गया है।

8. अनुज्ञापत्र

8.01 यात्री वाहन

1. स्टेज कैरिज— राज्य में यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न मार्गों पर वाहन संचालन के लिए अनुज्ञा पत्र दिये जाते हैं। वर्तमान में परिवहन निगम की 4545 (अनुबन्धित बसों सहित) बसें संचालित हैं। निजी क्षेत्र के वाहनों को 42227 अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये गये हैं। गत तीन वर्षों में प्रभावी अनुज्ञापत्रों का तुलनात्मक विवरण सारणी संख्या – 7 में दर्शाया गया है।
2. संविदा वाहन— विशेष प्रयोजन हेतु एक से दूसरे निर्धारित स्थान तक यात्रा करने के लिए संविदा वाहन परमिट जारी किये जाते हैं। राज्य में दिसम्बर, 15 तक संविदा वाहनों को 78106 अनुज्ञा—पत्र जारी किये गये हैं, जिनमें 4343 बस/मिनी बस, 45142 टैक्सी कैब एवं 28621 मैक्सी कैब वाहनों के लिए हैं। माह दिसम्बर, 15 तक प्रभावी परमिटों का क्षेत्रवार विवरण सारणी संख्या – 8 में दिया गया है। इस वर्ष अप्रैल से दिसम्बर, 15 तक की अवधि में संविदा

वाहनों को 24585 अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विवरण सारणी – 9 में दिया गया है।

8.02 भार वाहन

राज्य में भार वाहनों को अन्य राज्यों में संचालन हेतु 'नेशनल परमिट' तथा राज्य में ही संचालन हेतु 'ऑल राजस्थान परमिट' दिये जाते हैं। माह दिसम्बर, 15 तक कुल 299404 भार वाहनों को अनुज्ञा पत्र जारी किये जा चुके हैं, जिनमें से 159876 ऑल राजस्थान तथा 139528 राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र हैं जिनका क्षेत्रवार विवरण सारणी – 10 में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान दिसम्बर, 15 तक 16782 नेशनल परमिट तथा 15128 ऑल राजस्थान के नवीन अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं, जिनका विवरण सारणी – 9 में अंकित है।

8.03 अस्थायी अनुज्ञा पत्र

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा जनता की सुविधा के लिए गाड़ियों को मेला, शादी, पर्यटन, अल्पकालीन आवश्यकताओं तथा सामयिक व्यवस्था आदि के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र तथा स्पेशल अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान माह दिसम्बर, 15 तक 127428 अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं, जिनमें यात्री वाहन को 61243, टेकरी आदि को 14520 तथा भार वाहनों को 51665 अनुज्ञापत्र शामिल हैं। इनका जिलेवार विवरण सारणी – 11 में दर्शाया गया है।

9. राजस्व

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मोटर वाहनों से कर, फीस एवं प्रशमन राशि प्राप्त की जाती है। वर्ष 1991–92 से 2015–16 में प्राप्त कुल राजस्व का वर्षवार विवरण सारणी – 12 में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए राज्य सरकार द्वारा विभाग को 3300.00 करोड़ रुपये राजस्व संग्रहण का लक्ष्य दिया गया है, इसकी तुलना में माह दिसम्बर, 15 तक 2051.35 करोड़ रुपये राशि अर्जित की गई है, जो लक्ष्य का 62.16 प्रतिशत है। विभाग चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। गत वर्ष इस अवधि में 1798.50 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 252.85 करोड़ रुपये (14.05 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि अर्जित की गई है। गत दो वर्षों एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 15 तक अर्जित राजस्व का जिलेवार विवरण सारणी – 13 में दर्शाया गया है। विभाग के कर संग्रह केन्द्रों पर राजस्व प्राप्ति का विवरण सारणी – 14 में दर्शाया गया है।

10. अपीलों एवं रिवीजनों का निपटारा

राजस्थान मोटररयान कराधान अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा पारित करारोपण आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई का कार्य प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इन अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध रिवीजन कार्य अपर परिवहन आयुक्त (कर), मुख्यालय द्वारा किया जाता है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों एवं अपर परिवहन आयुक्त द्वारा प्रतिवेदित अवधि में निस्तारित की गई अपीलों एवं रिवीजनों का विवरण सारणी – 15 व 16 में दर्शाया गया है।

11. वार्षिक योजना

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए विभाग की वार्षिक योजना हेतु 2994.46 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि में से 929.31 लाख रु. कार्यालय भवनों, ड्राइविंग ट्रैक, रिकॉर्ड रूम, लर्नर लाइसेंस हॉल के निर्माण आदि, 1915.01 लाख रु. कम्प्यूटराइजेशन मद में, 150.08 लाख रुपये सड़क सुरक्षा मद में व्यय करने, 0.03 लाख रु. रेलमगरा में I&C सेन्टर (Fitness centre), IDTR, ड्रांसपोर्ट हब के निर्माण हेतु एवं 0.03 लाख रु. इनोवेटिव स्कीम हेतु टोकन प्रावधान किया गया है।

12. वाहनों के अवैध संचालन की रोकथाम

यात्री वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के लिये समय–समय पर पुलिस, जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संयुक्त जांच अभियान चलाये जाते हैं। इस हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई है। वर्ष 2014–15 में चलाये गये संयुक्त जांच अभियानों की प्रगति सारणी – 25 में तथा वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 15 तक चलाये गये अभियानों की प्रगति सारणी – 26 में दी गई है।

13. भार वाहनों में ओवर लोडिंग की रोकथाम

अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित कर संग्रह केन्द्रों पर अन्य राज्यों से आने वाले भार वाहनों में ओवरलोडिंग की जांच की जाती है, अतिरिक्त माल को उतारने के बाद ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार राज्य में भार वाहनों में ओवरलोडिंग को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में भार वाहनों के 83044 चालान बनाये गये, 91.99 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई तथा 45432 भार वाहनों में से अतिरिक्त माल को उतरवाया गया है। विवरण सारणी – 27 में दर्शाया गया है।

14. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु प्रयास

- (1) सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों की समीक्षा करने हेतु वर्ष 2015–16 में मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का गठन किया गया है जिसमें माननीय गृह मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्रीगण सदस्य हैं।
- (2) राज्य में परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में “रटेट रोड्सेफटी कौसिंल” का गठन किया गया है, जो बढ़ती दुर्घटनाओं के कारणों एवं इनमें कमी लाने के बारे में विचार कर समय–समय पर सुझाव देती है।
- (3) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यातायात प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है जिसमें अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं स्वयंसेवी संगठन सदस्य हैं।
- (4) सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में यातायात प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है जिसमें सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, स्वयंसेवी संगठनों एवं अन्य सम्बन्धित संगठनों के पदाधिकारियों को सदस्य मनोनीत किया गया है।
- (5) दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले धीमी गति के वाहनों यथा ड्रेक्टर ट्रोली, ऊँटगाड़ी, बैल गाड़ी आदि पर रिफ्लेक्टर लगवाये जा रहे हैं।
- (6) राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।
- (7) मोटर वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट एवं वाहन चालक लाईसेंस जारी करने हेतु Integrated Computerized Fitness Center and Automated Driving Track का निर्माण निजी सहभागिता के आधार पर किया जा रहा है।
- (8) राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलने वाली छोटी सड़कों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 5954 स्पीड ब्रेकर/रंबल स्ट्रिप बनाये गये हैं, निर्धारित गति सीमा एवं यातायात चिन्हों के 5356 बोर्ड लगाये गये हैं, 421 जंक्शन को सुधारा गया है तथा 588 स्थानों पर जंगल सफाई एवं पेड़ों पर सफेदी का कार्य किया गया है।
- (9) संपूर्ण राज्य में दुपहिया वाहन चालकों एवं पीछे बैठने वाली सवारियों के लिए हेलमेट पहनना 28 अक्टूबर, 2015 से अनिवार्य किया गया है।
- (10) राज्य में विशुद्ध रूप से सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य करने के लिये 60 एन.जी.ओ. बनाये गये हैं।

- (11) राज्य में 2 अक्टूबर, 2015 को समस्त ग्राम पंचायतों में तथा 22 जनवरी, 2016 को समस्त नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों में “सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान” का आगाज किया गया।
- (12) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों की नशे में होने की जांच ब्रेथ एनेलाइजर द्वारा की जाती है। जांच में उपयुक्त पाये जाने पर ही बस के संचालन की अनुमति दी जाती है। इसके परिणाम रवरूप निगम के बस दुर्घटना अनुपात में कमी आई है।
- (13) राज्य में कुशल चालक तैयार करने के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर रीजनल ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेन्टर (RDTC) पी.पी.पी. मॉडल पर स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की सहायता से पी.पी.पी. पार्टनर मै. अशोका लीलैण्ड द्वारा रेलमगरा जिला राजसमंद में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (IDTR) प्रारम्भ कर दिया गया है।

15. प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम

परिवहन विभाग शहरों में वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयत्नशील है। विभाग द्वारा जिला एवं प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों को भी प्रदूषण नियंत्रण जांच उपकरण उपलब्ध करवाये गये हैं। इसके साथ ही जिलों में निजी क्षेत्र में 865 वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्रों को प्राधिकृत किया गया है इनमें से पेट्रोल चलित वाहनों के लिए 513 एवं डीजल चलित वाहनों हेतु 352 केन्द्र हैं। प्रदूषण से निजात पाने के लिए राज्य में बैट्री ऑपरेटेड कीकल को पथकर एवं विशेष पथकर से पूर्णतया मुक्त किया गया है तथा सी.एन.जी. चलित वाहनों को पथकर एवं विशेष पथकर में छूट प्रदान की गई है।

16. नागरिक अधिकार पत्र एवं सूचना का अधिकार

आम जनता की सुविधा के लिए विभाग द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दिनांक 09.09.99 को जारी नागरिक अधिकार पत्र में उपलब्ध कराई गई है। इसे दिनांक 07.12.2009 को संशोधित किया गया है। इसमें विभाग द्वारा संपादित किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए समय सीमा, आवश्यक दस्तावेज एवं सम्बन्धित अधिकारी के बारे में स्पष्ट जानकारी अंकित की गई है। सूचना के अधिकार के अन्तर्गत विभाग में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी मनोनीत किये गये हैं।

17. यातायात प्रबन्धन समिति

परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण आदि के सम्बन्ध में उच्च स्तर पर निर्णय लेने एवं क्रियान्विति की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यातायात प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है। इसी प्रकार हर जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में यातायात प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है। समिति परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिये स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सुधार के सुझाव देती है तथा जिला कलेक्टर सम्बन्धित विभागों द्वारा सुझावों की क्रियान्विति करवाते हैं।

18. प्रवर्तन कार्य

मोटर वाहन करापवंचना रोकने एवं मोटर वाहन नियमों की पालना करवाने के लिए विभाग में 204 उड़नदस्ते स्वीकृत हैं। इनमें से एस.एफ.एस. उड़नदस्ते कर संग्रह केन्द्रों के पास तैनात रहते हैं, डी.एफ.एस. उड़नदस्ते जिला परिवहन अधिकारी के अधीन एवं पी.एफ.एस. उड़नदस्ते प्रदूषण नियंत्रण कार्य के लिए गठित हैं जो बड़े शहरों में वाहनों की जांच करते हैं। उड़नदस्तों द्वारा जांच किये वाहन, बनाये गये चालान, सीज किये वाहन एवं अर्जित की गई प्रशमन राशि का विवरण सारणी – 19 में अंकित है।

19. सामाजिक सुरक्षा

यातायात नियमों की जानकारी देने एवं आम जनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, यूनियनों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सहयोग से यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राज्य में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन जनवरी माह में किया जाता है। इस वर्ष 'सड़क सुरक्षा सप्ताह' का आयोजन दिनांक 18.01.16 से 24.01.16 तक किया गया। जयपुर में बिड़ला ऑडिटोरियम पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारम्भ किया गया तथा साईंस पार्क, शास्त्री नगर, जयपुर में सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी स्थल पर प्रत्येक दिन छात्र-छात्राओं की विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित करवायी जाती हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। 'सड़क सुरक्षा सप्ताह' के समापन अवसर पर 'रोड सेफ्टी वॉक' का आयोजन भी किया गया।

20. May I Help You काउण्टर की स्थापना

- (1) परिवहन विभाग ने जन सुविधा, पारदर्शी, संवदेनशील प्रशासन हेतु सभी कार्यालयों में **MAY I HELP YOU** काउण्टर खोले हैं, इन काउण्टरों पर कार्यालय में किये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित सभी प्रकार के निर्धारित फार्म उपलब्ध कराये जाते हैं तथा फार्मों को भरने में सहयोग प्रदान किया जाता है।
- (2) विभाग ने सभी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लगाये हैं
- (3) शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

21. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011

विभाग के सभी जिला परिवहन कार्यालयों में लर्निंग लाइसेंस, स्थाई लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण तथा पेंशन प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निस्तारण करने हेतु चिन्हित किया गया है। उक्त कार्य निर्धारित अवधि में जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा किये जा रहे हैं।

22. रेलमगरा जिला राजसमंद में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (IDTR) की स्थापना

भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा रेलमगरा जिला राजसमंद में चालकों को संस्थागत आवासीय एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय सहायता से इंस्टीट्यूट का निर्माण अशोका लीलैण्ड लि. की पंजीकृत सोसायटी “अशोका लीलैण्ड वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान” द्वारा कराया गया है। उक्त संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

23. रेलमगरा में वाहनों के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत परिवहन वाहनों की फिटनेस हर वर्ष कराया जाना आवश्यक है। आधुनिक जांच यंत्रों युक्त निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना रेलमगरा में करने की स्वीकृति भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 मई, 2011 को दी गई है। इस केन्द्र की स्थापना रेलमगरा में स्वीकृत ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए आवंटित 20 एकड़ भूमि में से 5 एकड़ भाग पर की जायेगी। केन्द्र का निर्माण एवं मशीनों आदि की स्थापना व अन्य समस्त कार्य Automotive Research Association of India (ARAI) पुणे द्वारा किया जा रहा है।

24. राजस्थान सड़क सुरक्षा निधि योजना

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की दिनांक 22.09.2006 को शिमला में आयोजित नवीं बैठक में उपस्थित राज्यों के परिवहन मंत्रियों एवं सचिवों द्वारा सर्वसम्मति से राज्यों में सड़क सुरक्षा कोष के सृजन बाबत निर्णय लिये जाने के परिपेक्ष्य में रोड़ सेफटी कौंसिल की सिफारिशों को लागू करने के लिए 10.00 करोड़ रु. के प्रारम्भिक अंशदान से, राजस्थान सड़क सुरक्षा निधि का गठन किया गया है। सड़क सुरक्षा निधि की राशि का उपयोग जिलों में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों, प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, अध्ययन, सड़क सुरक्षा सप्ताह के आयोजन, प्रशिक्षण, सेमीनार, वर्कशॉप आदि में किया जा रहा है।

25. लर्नर लाइसेंस में आधुनिकीकरण

लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए आने वाले आवेदकों के यातायात नियमों के ज्ञान का परीक्षण लेने हेतु परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटराइज्ड कियोस्क स्थापित किये गये हैं। इस पर आवेदक को यातायात नियमों व चिन्हों से सम्बन्धित 20 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, कम से कम 12 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर ही लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है। सभी आवेदकों को लघु फिल्म के माध्यम से यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा एवं जीवन रक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निजी मोटर ड्राईविंग स्कूलों के लिए भी टच स्क्रीन कियोस्क पर टैस्ट लेना अनिवार्य किया गया है।

26. स्मार्ट कार्ड

आमजन की सुविधाओं के मध्यनजर विभाग द्वारा सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ड्राईविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना प्रारम्भ कर दिया है।

27. लर्निंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा

प्रथम चरण में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर, जिला परिवहन कार्यालय दूदू एवं सवाईमाधोपुर में आमजन हेतु लर्निंग लाइसेंस आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा दिनांक 11.01.2016 से प्रारम्भ कर दी गयी है। शेष परिवहन कार्यालयों में यह सुविधा कनेक्टिविटी एवं स्कैनर्स की उपलब्धता के आधार पर प्रारम्भ की जायेगी।

28. 'वाहन' एवं 'सारथी' योजना

'वाहन' सॉफ्टवेयर के माध्यम से वाहन पंजीयन का कार्य एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर योजना के माध्यम से लाइसेंस जारी करने का कार्य सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में प्रारम्भ कर दिया गया है।

29. ई-ग्रास योजना

आमजन की सुविधाओं में विस्तार करते हुए विभाग द्वारा सभी प्रकार के कर एवं फीस जमा कराने की सुविधा ई-ग्रास योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक चालान एवं नेट-बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध करवायी गयी है। इससे वाहन स्वामी कहीं से भी राशि जमा करा सकता है।

30. राजस्थान लोक परिवहन सेवा

राज्य में आमजन को सुलभ, सुगम, सरती एवं सुरक्षित यातायात सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक परिवहन सेवा को बढ़ाने का संकल्प लेते हुए 476 राष्ट्रीयकृत मार्गों को अधिसूचित कर अराष्ट्रीयकरण करते हुए निजी बस ऑपरेटरों को इन मार्गों पर संचालन की अनुमति दी है। इस क्रम में 'राजस्थान लोक परिवहन सेवा' का शुभारम्भ दिनांक 13.12.15 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा किया गया है।

31. राष्ट्रीयकृत मार्गों का अराष्ट्रीयकरण

राज्य में आमजन को सुलभ एवं सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये 476 राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी गयी है जिससे निजी बस ऑपरेटर्स को भी सभी मार्गों पर बसों के संचालन की अनुमति दी जायेगी।

32. चैक पोस्ट पर टैक्स जमा कराने की अनिवार्यता समाप्त

राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों को राज्य में प्रवेश करते समय चैक-पोस्ट पर टैक्स जमा कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। इसके स्थान पर वाहन स्वामियों को ऑनलाईन टैक्स की गणना एवं नेट बैंकिंग से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

33. महिला सशक्तिकरण

महिलाओं के सशक्तिकरण को दृष्टिगत रखते हुए मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर लर्निंग लाईसेंस एवं चालक लाईसेन्स फीस में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है। महिलाओं को लाईसेन्स फीस में छूट प्रदान करने से परिवहन क्षेत्र में महिला वालकों को बढ़ावा मिलेगा।

34. अजमेर शहर से एक डी.टी.ओ. कार्यालय का हैडक्वाटर नसीराबाद

नसीराबाद एवं उसके आस-पास की जनता को परिवहन सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से अजमेर शहर से एक डी.टी.ओ. कार्यालय का हैडक्वाटर नसीराबाद किया गया है जिसने अपना कार्य दिनांक 03.11.15 से प्रारम्भ कर दिया है।

35. गैर-परिवहन वाहनों के पंजीयन हेतु डीलर्स को अधिकृत

आमजन की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए गैर-परिवहन वाहनों के पंजीयन के लिये राज्य के समस्त वाहन डीलर्स को वाहनों के पंजीयन करने हेतु अधिकृत करने बाबत् आदेश जारी किया गया है। इससे स्थानीय लोगों को गैर-परिवहन वाहनों के पंजीयन हेतु परिवहन कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको वाहनों के पंजीयन नम्बर एवं नम्बर प्लेट की सुविधा भी वाहनों के क्रय करने के रथान पर ही उपलब्ध करवायी जा रही है।

36. राजस्थान राज्य बस टर्मिनल डबलपमेन्ट ऑथोरिटी का गठन

राज्य में बस टर्मिनल डबलपमेन्ट ऑथोरिटी को गठन किया गया है। प्रारम्भिक तौर पर ऑथोरिटी द्वारा केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिंधी कैम्प— जयपुर, अजमेर एवं उदयपुर का विकास किया जायेगा। निगम एवं निजी बस ऑपरेटर्स को एक ही बस स्टैण्ड से बस संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। रोड़वेज एवं निजी बस ऑपरेटर्स में प्रतिस्पर्धा होने के कारण आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।

.....

सारणी-1(निरन्तर)

विभागीय संगठन – प्रादेशिक स्तर

प्रा.प.अ. जयपुर	प्रा.प.अ. अजमेर	प्रा.प.अ. अलवर	प्रा.प.अ. जोधपुर	प्रा.प.अ. कोटा	प्रा.प.अ. दीकानेर
अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1) जि.प. अधिकारी, जयपुर (6)	अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (2) जि.प. अधिकारी, अजमेर (2)	अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर (2)	अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर (3)	अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1) जि.प. अधिकारी, कोटा (2)	अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1) जि.प. अधिकारी, दीकानेर
लेखायकारी, जयपुर (6)	जि.प. अधिकारी, अजमेर (2)	जि.प. अधिकारी, अलवर (2)	जि.प. अधिकारी, जोधपुर (3)	जि.प. अधिकारी, दीकानेर (2)	जि.प. अधिकारी, दीकानेर
जि.प.अ. इन्ह.	जि.प.अ. अधिकारी, आवाद	जि.प.अ. अधिकारी, टोक	जि.प.अ. अधिकारी, शहजहांपुर	जि.प. अधिकारी, बालौर	जि.प. अधिकारी, दीकानेर
जि.प.अ. अधिकारी, कोटपूरबी	जि.प.अ. अधिकारी, नागीर	जि.प.अ. अधिकारी, नीखनाना	जि.प.अ. अधिकारी, फतेहदी	जि.प. अधिकारी, झालावाड़	जि.प. अधिकारी, हूंडी
जि.प.अ. अधिकारी, चौमू	जि.प.अ. अधिकारी, केकड़ी	जि.प.अ. अधिकारी, किल्वनाव	जि.प.अ. अधिकारी, नोखा	जि.प. अधिकारी, नोखर	जि.प. अधिकारी, नोखर
जि.प.अ. अधिकारी, शाहपुरा	जि.प.अ. अधिकारी, केकड़ी				
प्रा.प.अ. भरतपुर	प्रा.प.अ. दीसा	प्रा.प.अ. सीकर	प्रा.प.अ. भरतपुर	प्रा.प.अ. भरतपुर	प्रा.प.अ. भरतपुर
अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1) जि.प. अधिकारी, भरतपुर (3)	अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1) जि.प. अधिकारी, दीसा	अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1) जि.प. अधिकारी, दीसा	अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1) जि.प. अधिकारी, भरतपुर (3)	अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1) जि.प. अधिकारी, भरतपुर (2)	अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (1) जि.प. अधिकारी, भरतपुर (2)
जि.प. अधिकारी, भरतपुर (3)	जि.प. अधिकारी, दीसा	जि.प. अधिकारी, दीसा	जि.प. अधिकारी, भरतपुर (3)	जि.प. अधिकारी, भरतपुर (2)	जि.प. अधिकारी, भरतपुर (2)
जि.प. अधिकारी, भरतपुर	जि.प. अधिकारी, दीसा	जि.प. अधिकारी, दीसा	जि.प. अधिकारी, भरतपुर	जि.प. अधिकारी, भरतपुर (2)	जि.प. अधिकारी, भरतपुर (2)
जि.प. अधिकारी, भरतपुर	जि.प. अधिकारी, भरतपुर	जि.प. अधिकारी, भरतपुर	जि.प. अधिकारी, भरतपुर	जि.प. अधिकारी, भरतपुर (2)	जि.प. अधिकारी, भरतपुर (2)

सारणी – 2

विभाग में स्वीकृत पदों की स्थिति (दिनांक 31.12.2015)

क्र.सं.	पदनाम 2	स्वीकृत 3	कार्यरत 4	रिक्त 5
1	परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव	1	1	0
2	अपर परिवहन आयुक्त	14	9	5
3	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
4	संयुक्त परिवहन आयुक्त	5	1	4
5	उप परिवहन आयुक्त	9	2	7
6	उप वित्तीय सलाहकार (गुरुख लेखाधिकारी)	1	1	0
7	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1
8	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप परिवहन आयुक्त	12	11	1
9	सिस्टम एनालिस्ट	1	1	0
10	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	0	1
11	निजी सचिव	1	1	0
12	सहायक परिवहन आयुक्त / अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	15	15	0
13	लेखाधिकारी	4	2	2
14	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	1	1	0
15	जिला परिवहन अधिकारी	77	47	30
16	सहायक विधि परामर्शी	1	1	0
17	वरिष्ठ विधि अधिकारी (जोधपुर)	1	1	0
18	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1	52	34	18
19	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
20	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	3	3	0
21	वरिष्ठ निजी सहायक	3	2	1
22	निजी सहायक	10	2	8
23	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लेखाकार)	41	17	24
24	सांख्यिकी निरीक्षक	12	11	1
25	रांगणक	1	1	0
26	प्रोग्रामर	7	2	5
27	सहायक प्रोग्रामर	9	4	5
28	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	13	5	8
29	सहायक कार्यालय अधीक्षक	66	16	50
30	कनिष्ठ लेखाकार	35	15	20
31	शीघ्र लिपिक	3	2	1
32	सूचना सहायक	402	365	37
33	लिपिक ग्रेड-I	132	75	57
34	लिपिक ग्रेड-II	198	164	34
35	मोटरवाहन निरीक्षक	290	162	128
36	मोटरवाहन उप निरीक्षक	371	141	230
37	वाहन चालक	292	66	226
38	जमादार / चौकीदार / चतुर्थ श्रे.क. / गार्ड / गनमेन	236	148	88
	योग	2323	1330	993

नोट – परिवहन सेवा के अपर परिवहन आयुक्त को 3 पदों पर सीमित कर दिया है जो दिनांक 01.04.2016 से प्रगती होंगे। वर्ष 2015–16 की पदोन्नति के फलस्वरूप पदोन्नत अधिकारी उक्त संख्या से अधिक होने पर भी कार्यरत रहेंगे। 3 से अधिक कार्यरत अपर परिवहन आयुक्त के पद उनकी सेवा निवृत्ति के साथ ही समाप्त हो जायेंगे।

सारणी – 3

मोटर वाहन, जनसंख्या, सड़क तथा क्षेत्रफल का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	जिला	जनसंख्या 2011 (1000 में)	क्षेत्रफल वर्ग किमी	सड़क लम्बाई 31.03.2015 (किमी) *	पंजीकृत वाहन 31.03.2015 तक	वाहन प्रति हजार व्यक्ति	सड़क लम्बाई प्रति 100 मोटर वाहन (कि.मी.)	सड़क लम्बाई प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजगर	2583	8481	4600	717908	278	1	54
2	अलवर	3674	8380	5818	629688	171	1	69
3	बांसवाड़ा	1797	4522	3802	237854	132	2	84
4	बाढ़मेर	2604	28387	10392	193216	74	5	37
5	भरतपुर	2548	5066	3393	331890	130	1	67
6	भीलवाड़ा	2409	10455	5755	529970	220	1	55
7	बीकानेर	2364	30239	6710	378509	160	2	22
8	बून्दी	1111	5776	2437	201240	181	1	42
9	चित्तौड़गढ़	1544	7822	3600	345436	224	1	46
10	चूल	2040	13835	4345	143925	71	3	31
11	धौलपुर	1207	3033	2057	116339	96	2	68
12	झूंगरपुर	1389	3770	3267	180411	130	2	87
13	गंगानगर	1969	10978	4574	414278	210	1	42
14	हनुमानगढ़	1775	9656	3362	190704	107	2	35
15	जयपुर	6626	11143	6301	2389124	361	0	57
16	दौसा	1634	3432	3250	193971	119	2	95
17	जैसलमेर	670	38401	5233	60554	90	9	14
18	जालौर	1829	10640	4153	172176	94	2	39
19	झालावाड़	1411	6219	3358	195229	138	2	54
20	झुंझुनू	2137	5928	4283	244401	114	2	72
21	जोधपुर	3687	22850	8837	930132	252	1	39
22	कोटा	1951	5217	2513	718388	368	0	48
23	बारां	1223	6992	2781	186118	152	1	40
24	नागौर	3308	17718	8220	452495	137	2	46
25	पाली	2038	12387	5275	362943	178	1	43
26	सवाई माधोपुर	1336	4498	2353	174858	131	1	52
27	सीकर	2677	7732	4572	290648	109	2	59
28	सिरोही	1036	5136	2014	153048	148	1	39
29	टोंक	1421	7194	3151	212935	150	1	44
30	उदयपुर	3068	11724	7482	684617	223	1	64
31	राजसगंद	1157	4655	3119	171808	148	2	67
32	करौली	1458	5524	2478	109440	75	2	45
33	प्रतापगढ़	868	4449	2322	64766	75	4	52
	योग	68549	342239	145807	12379019	181	1	43

* स्त्रीत सार्वजनिक निर्माण विभाग

सारणी - 4 राज्य में व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक पंजीकृत वाहन (संचयी संख्या दिसम्बर, 15 तक)				
1	2	अव्यावसायिक	व्यावसायिक	योग
		3	4	5
1	जयपुर	2197143	191763	2388906
2	दूदू	17245	747	17992
3	कोटपूराली	81672	19475	101147
4	दौम	22903	1375	24278
5	शाहपुरा	12423	1476	13899
	योग	2331386	214836	2546222
6	दोसा	198988	11118	210106
7	सवाई माधोपुर	178772	11747	190519
8	करौली	115062	6150	121212
	योग	492822	29015	521837
9	सीकर	295400	30128	325528
10	चूम्पूला	242723	27443	270166
11	चूल	122906	22357	145263
12	राजानगढ़	16481	937	17418
	योग	677510	80865	758375
13	अलवर	619697	33267	652964
14	शहजाहानपुर	0	0	0
15	शिवाड़ी	28995	1613	30608
	योग	648692	34880	683572
16	ग्रन्थपुर	331805	24472	356277
17	धीलपुर	115290	11307	126597
	योग	447095	35779	482874
18	अजमेर	559269	40099	599368
19	ब्यावर	118657	8738	127395
20	नागौर	335218	23441	358659
21	ठोड़वाना	129327	6783	136110
22	टोक	219724	8877	228601
23	किशनगढ़	25624	1185	26809
24	कोकड़ी	14491	272	14763
	योग	1402310	89395	1491705
25	जोधपुर	855619	108708	964327
26	बाड़मेर	157389	26596	183985
27	जैसलमेर	55129	11439	66568
28	बालतरा	25996	2102	28098
29	फलौदी	17649	1679	19328
	योग	1111782	150524	1262306
30	पाली	374858	22838	397696
31	सिरोड़ी	133074	14812	147886
32	जालौर	147231	14972	162203
33	आबूरोड	17276	1443	18719
34	भीन्नाल	25208	1817	27025
	योग	697647	55882	753529
35	उदयपुर	667736	63140	730876
36	झुमरपुर	181460	14794	196254
37	रतनपुर	0	0	0
38	बांसवाड़ा	242394	16587	258981
39	राजसमंद	171334	13466	184800
	योग	1262924	107987	1370911
40	विरोड़गढ़	339235	33193	372428
41	प्रतापगढ़	69202	2784	71986
42	भीलवाड़ा	526245	36373	564618
43	शाहपुरा	22988	365	23353
	योग	959670	72715	1032386
44	कोटा	647153	51033	698186
45	कूची	207777	11204	218981
46	झालाचाड़	196910	13084	209994
47	बांसा	193225	7117	200342
48	रामगंजमंडी	67366	3013	70379
	योग	1312431	85451	1397882
49	बीकानेर	346334	50966	397300
50	गंगानगर	398282	37356	435638
51	हनुमानगढ़	175156	14651	189807
52	नोहर	17563	1146	18709
53	नोखा	6829	765	7594
	योग	944164	104884	1049048
	महायोग	12288433	1062213	13350646

सारणी - 5

चालक एवं परिचालक लाइसेंस वर्ष 2015-16 (माह दिसम्बर, 15 तक)

क्र.सं.	जिला	चालक लाइसेंस				परीक्षण में फेल		परिचालक लाइसेंस
		लर्निंग	स्थायी अव्यावसायिक	स्थायी व्यावसायिक	नवीनीकरण	लर्निंग लाइसेंस	स्थायी लाइसेंस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जयपुर	104876	106251	1603	66035	1916	1112	375
2	दूदू	9189	8248	666	3012	229	53	97
3	कटपुतली	6292	4847	655	2337	101	107	41
4	चौमू	9667	7755	277	2542	75	351	144
5	शहपुरा	8183	6575	487	2503	76	130	121
	योग	138207	133676	3688	76429	2397	1753	778
6	दौसा	30700	23619	862	5095	472	322	383
7	सवाईमधोपुर	11163	8146	941	4023	0	95	171
8	करोली	13281	9352	458	4022	1219	664	195
	योग	55144	41117	2261	13140	1691	1081	749
9	सोकर	18253	17631	1243	9975	518	925	448
10	झंशु	2670	18126	3191	9596	21	0	483
11	चुरू	878	14282	2092	4662	6	71	117
12	खुजानगढ़	4155	4286	181	1143	97	98	9
	योग	25956	54325	6707	25376	642	1094	1057
13	अलवर	34165	23454	2227	15280	1796	103	292
14	शांखडांपुरा	0	0	0	0	0	0	0
15	भेवाड़ी	7414	6264	385	2047	38	52	40
	योग	41579	29718	2612	17327	1834	155	332
16	मरतापुर	27319	24785	861	7186	1161	270	836
17	धौलपुर	9469	7241	1066	3107	724	366	68
	योग	36788	32026	1927	10293	1885	636	904
18	आजमेर	18884	11632	1172	7298	3272	649	118
19	ब्यावर	9044	6732	275	3087	161	68	34
20	नागौर	12521	8523	621	5186	52	67	210
21	टोक	11854	7652	1293	5336	182	81	237
22	झीलवाना	17379	15547	1144	4277	175	265	48
23	किशनगढ़	5155	3431	182	1347	558	673	52
24	केकड़ी	5580	6361	231	2035	79	295	40
	योग	80417	59878	4918	28566	4479	2098	739
25	जोधपुर	51842	42216	1558	22957	471	1751	55
26	बाड़मेर	10632	7055	1405	6846	0	180	25
27	जैसलमेर	8682	8504	426	1699	712	0	1
28	बालतारा	6922	5362	216	2394	1698	356	2
29	फलोदी	4284	3827	494	1094	88	0	45
	योग	82362	66964	4099	34990	2969	2287	128
30	पाली	30009	25997	467	6573	2996	2923	28
31	सिरोही	5455	4782	145	2477	0	0	0
32	जालोर	7807	6506	194	2630	338	296	5
33	आबू रोड़	4107	3244	120	1229	143	63	0
34	भोनमाल	9979	9509	280	1742	430	489	0
	योग	57357	50038	1206	14651	3907	3771	33
35	उदयपुर	21303	10115	961	11031	3623	174	15
36	खुगरपुर	9045	6661	289	4900	529	331	29
37	रतनपुर	0	0	0	0	0	0	0
38	बासवाड़ा	7333	5144	280	5439	886	76	5
39	राजसमन्द	7503	5187	275	4082	0	52	0
	योग	45184	27107	1805	25452	5038	633	49
40	घिरोड़गढ़	16861	14799	670	2996	31	106	0
41	प्रतापगढ़	4278	3607	195	989	0	60	0
42	झीलवाड़ा	17917	12294	821	8669	52	116	21
43	शहपुरा	5780	4671	739	2156	0	91	33
	योग	44836	35371	2425	14810	83	373	54
44	कोटा	16986	12257	26	14644	5716	140	6
45	कुची	14882	12038	696	5513	1545	0	107
46	झाटावाड़ा	8705	6596	628	3680	755	82	6
47	बांसा	8914	7094	253	2391	0	64	5
48	रामगंजमण्डी	5940	5186	325	3683	131	0	2
	योग	55427	43171	1928	29911	8147	286	126
49	बीकानेर	28182	24609	2000	8449	7624	4273	25
50	गंगानगर	21030	17264	459	11348	42	0	127
51	हनुमानगढ़	12346	10343	431	6836	161	10	67
52	नोहर	8209	6517	830	1665	95	123	260
53	नोखा	4215	3360	10	1464	80	34	4
	योग	73982	62093	3730	29762	8002	4440	483
	कुल योग	737239	635484	37306	320707	41074	18607	5432

सारणी – 7

प्रमाणी स्थायी अनुज्ञापत्र – मंजिली वाहन (स्टेज कैरिज)

(संचयी संख्या)

क्र. सं.	रीजन	निजी क्षेत्र– अनुज्ञापत्रों की संख्या			सार्वजनिक क्षेत्र– अनुज्ञापत्रों की संख्या		
		वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 15 तक)	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 15 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जयपुर (द.)	3810	3883	3952	1267	1267	1267
2	जयपुर (उ.)	212	212	0	0	0	0
3	दौसा	909	1017	1081	194	219	219
4	सीकर	5452	5644	5807	972	1026	1026
5	अलवर	2264	2332	2309	380	380	380
6	भरतपुर	30	62	86	60	63	63
7	अजमेर	5186	5387	5470	196	196	196
8	जोधपुर	4971	5177	5249	724	724	724
9	पाली	3770	4360	4771	270	270	270
10	उदयपुर	4358	4864	5143	1303	1303	1303
11	विजौडगढ	2603	2345	2759	160	160	160
12	कोटा	2091	2264	2335	541	541	541
13	बीकानेर	2831	3152	3265	547	547	547
	योग	38487	40699	42227	6614	6696	6696

सारणी – 8

प्रभावी स्थायी अनुज्ञापत्र – संविदा वाहन (कांट्रैक्ट कैरिज)

(संचयी संख्या दिसम्बर, 2015 तक)

क्र.सं.	रीजन	बस / मिनी बस			टैक्सी कैब			गैक्सी कैब			योग		
		ऑल इण्डिया	ऑल राजस्थान	योग	ऑल इण्डिया	ऑल राजस्थान	योग	ऑल इण्डिया	ऑल राजस्थान	योग	ऑल इण्डिया	ऑल राजस्थान	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जयपुर	552	199	751	9428	3792	13220	2246	5672	7918	12226	9663	21889
2	दौसा	3	81	84	342	1583	1925	354	1210	1564	699	2874	3573
3	सीकर	50	111	161	95	3743	3838	159	493	652	304	4347	4651
4	अलवर	16	26	42	867	187	1054	126	720	846	1009	933	1942
5	भरतपुर	7	13	20	55	128	183	8	618	626	70	759	829
6	अजमेर	42	15	57	561	768	1329	460	1184	1644	1063	1967	3030
7	जोधपुर	814	82	896	1774	2256	4030	499	1318	1817	3087	3656	6743
8	पाली	121	12	133	1920	6071	7991	182	582	764	2223	6665	8888
9	उदयपुर	682	52	734	2117	1156	3273	1065	1880	2945	3864	3088	6952
10	विजौड़गढ़	763	62	825	438	2750	3188	542	3240	3782	1743	6052	7795
11	कोटा	122	16	138	191	872	1063	70	900	970	383	1788	2171
12	बीकानेर	473	29	502	752	3296	4048	970	4123	5093	2195	7448	9643
	योग	3645	698	4343	18540	26602	45142	6681	21940	28621	28866	49240	78106

सारणी - 9												
वर्ष के दौरान जारी स्थायी परमिटों की संख्या												
(माह अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015)												
क्र.सं.	रीजन	स्टेज कैरिज			संविदा वाहन				भार वाहन			महायोग
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	बस/मिनी बस	टैक्सी/मैक्सी	तीन पहिया वाहन	योग	राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र	आॅल राजस्थान	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जयपुर	0	496	496	117	3449	1724	5290	4338	4474	8812	14598
2	दौसा	0	125	125	24	527	288	839	214	504	718	1682
3	रीकर	0	741	741	50	971	1823	2844	751	1006	1757	5342
4	अलवर	0	143	143	16	282	1587	1885	1275	125	1400	3428
5	भरतपुर	0	76	76	47	97	406	550	1403	186	1589	2215
6	अजमेर	0	364	364	12	994	500	1506	2361	1432	3793	5663
7	जोधपुर	0	448	448	80	1858	1275	3213	1423	2442	3865	7526
8	पाली	0	932	932	66	830	1305	2201	704	459	1163	4296
9	उदयपुर	0	723	723	83	1138	1026	2247	1041	1222	2263	5233
10	चित्तौड़गढ़	0	706	706	98	548	764	1410	36	709	745	2861
11	कोटा	0	308	308	19	485	333	837	465	1015	1480	2625
12	बीकानेर	0	491	491	29	711	1023	1763	2771	1554	4325	6579
	योग	0	5553	5553	641	11890	12054	24585	16782	15128	31910	62048

सारणी – 10

प्रभावी स्थायी अनुज्ञापत्र – भार वाहन

(संचयी संख्या)

क्र. सं.	रीजन	नेशनल परमिट			ऑल राजस्थान		
		वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 15 तक)	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 15 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जयपुर (द.)	17513	19116	22282	12409	13398	18502
2	जयपुर (उ.)	288	288	0	2019	2255	0
3	दौसा	2778	2923	2963	3003	3404	3773
4	सीकर	4150	4683	5155	15895	16638	17239
5	अलवर	18972	19759	20520	9134	9388	9265
6	भरतपुर	118	861	1410	624	853	891
7	अजमेर	11634	13040	14562	17113	18266	19104
8	जोधपुर	29781	30526	31146	12625	14157	14807
9	पाली	3179	3520	3780	4805	5179	5383
10	उदयपुर	7325	7772	8329	12817	13559	13941
11	चित्तौड़गढ़	6204	6204	6232	12484	13590	14184
12	कोटा	5645	5880	6099	15124	16195	16710
13	बीकानेर	15879	16312	17050	23780	25033	26077
	योग	123466	130884	139528	141832	151915	159876

जारी अस्थायी अनुज्ञापत्र वर्ष 2015-16 (दिसम्बर, 15 तक)

क्र.सं.	जिला	यात्री वाहन	टैक्सी व अन्य वाहन	भार वाहन	योग
1	2	3	4	5	6
1	जायपुर	15620	954	4515	21089
2	दूर्दू	264	1	142	407
3	कोटपूतली	150	0	4504	4654
4	वीरू	527	25	1073	1625
5	शहपुरा	15	3	1175	1193
	योग	16576	983	11409	28968
6	दौसा	670	0	1293	1963
7	सावाईमाधोपुर	1251	0	1980	3231
8	करोली	955	248	740	1943
	योग	2876	248	4013	7137
9	सोकर	4139	0	137	4276
10	चूम्हा	2799	214	1833	4846
11	बुरू	1161	0	667	1828
12	सुजानगढ़	0	446	31	477
	योग	8099	660	2668	11427
13	अलवर	1685	324	427	2436
14	चांहजाठपुर	0	0	0	0
15	गोवाड़ी	442	0	127	569
	योग	2127	324	554	3005
16	भरतपुर	766	572	3773	5111
17	धौलपुर	433	0	454	887
	योग	1199	572	4227	5998
18	अजगोर	1711	372	759	2842
19	ब्यावर	641	0	329	970
20	नागोर	1147	0	428	1575
21	टोक	1242	0	0	1242
22	डीखवाना	509	0	393	902
23	केशनगढ़	714	89	166	969
24	करकड़ी	341	0	190	531
	योग	6305	461	2265	9031
25	जोधपुर	2451	518	864	3833
26	बांझमेर	268	0	209	477
27	जैसलमेर	97	154	173	424
28	बालोतरा	186	0	39	225
29	फलोदी	33	2	17	52
	योग	3035	674	1302	5011
30	पाली	928	39	390	1357
31	सिरोडी	278	0	12	290
32	जालोर	705	19	15	739
33	आबू रोड	123	0	552	675
34	भोनगाल	214	7	42	263
	योग	2248	65	1011	3324
35	उदयपुर	4587	427	1236	6250
36	झूगरपुर	701	193	106	1000
37	रतानपुर	0	0	0	0
38	बासवाड़ा	295	559	561	1415
39	राजसमन्द	533	0	117	650
	योग	6116	1179	2020	9315
40	चित्तोड़गढ़	927	0	4048	4975
41	प्रतापगढ़	531	420	333	1284
42	भीलवाड़ा	0	2817	1256	4073
43	शाहपुरा	1648	0	239	1887
	योग	3106	3237	5876	12219
44	कोटा	0	4295	2475	6770
45	कूटी	580	65	823	1468
46	झालावाड़	721	81	2155	2957
47	बारा	326	124	738	1188
48	रामगजगण्डी	404	0	550	954
	योग	2031	4565	6741	13337
49	शीकोरेर	3421	0	1213	4634
50	गंगानगर	2794	0	2775	5569
51	हनुमानगढ़	0	1552	3656	5208
52	नोहर	1005	0	1896	2901
53	नोखा	305	0	39	344
	योग	7525	1552	9579	18656
	कुल योग	61243	14520	51665	127428

सारणी – 12

वर्षवार राजस्व लक्ष्य एवं उपलब्धि

(रुपये लाखों में)

वर्ष	राजस्व लक्ष्य	राजस्व उपलब्धि	प्रतिशत
1	2	3	4
1991-92	12320.00	13932.91	113.09
1992-93	16255.00	16851.17	103.67
1993-94	18287.00	18063.23	98.78
1994-95	20000.00	23220.01	116.10
1995-96	23300.00	24650.68	105.80
1996-97	29100.00	27694.41	95.17
1997-98	33500.00	34719.96	103.64
1998-99	36225.00	36439.28	100.59
1999-00	45500.00	45547.70	100.10
2000-01	50000.00	51130.44	102.26
2001-02	55000.00	56632.77	102.97
2002-03	62500.00	64613.57	103.38
2003-04	67500.00	72720.69	107.73
2004-05	78500.00	81710.11	104.09
2005-06	88000.00	90818.11	103.20
2006-07	95000.00	102343.43	107.73
2007-08	107500.00	116436.18	108.31
2008-09	120000.00	121355.92	101.13
2009-10	130000.00	137287.12	105.61
2010-11	150000.00	161224.59	107.48
2011-12	172500.00	192704.97	111.71
2012-13	222500.00	228300.38	102.61
2013-14	255000.00	249897.76	98.00
2014-15	280000.00	282986.43	101.07
2015-16	330000.00	205135.01 (दिसांवर, 15 तार्क)	62.16

क्र.सं.	जिला	वर्ष 2013-14		वर्ष 2015-16 (दिसम्बर, 15 तक)
		वर्ष 2014-15	(राशि लाखों में)	
1	2	3	4	5
1	जयपुर (द.)	33355.01	43521.02	34667.94
2	दृढ़	486.47	1575.48	1072.41
	योग	33841.48	45096.50	35740.35
3	जयपुर(च.)	3152.16	0.00	0.00
4	कोटपाटली	3317.98	3586.72	2132.68
5	चौमू	1940.76	2371.27	1456.16
6	शाहपुरा	1548.08	2515.19	1205.62
	योग	9958.98	8473.18	4794.46
7	दौसा	2268.36	3076.06	2352.27
8	सवाईमाधोपुर	2089.85	2615.40	2220.59
9	करोली	1301.87	1612.79	1258.82
	योग	5660.08	7304.25	5831.68
10	सीकर	6545.40	8265.23	6310.19
11	झांચनू	5937.76	7218.37	5825.5
12	दूर्ल	2770.32	3112.83	2549.07
13	सुजानगढ़	995.95	1409.45	1052.19
	योग	16249.43	20005.88	15736.95
14	अलवर	7062.29	8501.90	5982.56
15	शहंजहापुर	4275.55	5463.50	3191.78
16	गिरवाड़ी	2132.07	2737.53	1894.49
	योग	13469.91	16702.93	11068.83
17	भरतपुर	6379.49	7781.74	4823.62
18	धौलपुर	3436.84	3980.98	2395.65
	योग	9816.33	11762.72	7219.27
19	अजमेर	6604.99	7521.89	5221.89
20	ब्यावर	2090.06	2699.22	1822.59
21	नारोर	4510.89	5356.05	4034.19
22	छीड़वाना	2689.64	3444.62	2427.34
23	टीक	2957.05	3501.74	2253.88
24	किशनगढ़	1697.25	2446.73	1482.95
25	केकड़ी	463.42	1293.57	772.49
	योग	21013.30	26263.82	18015.33
26	जोधपुर	15307.18	17163.36	12584.93
27	बांडगेर	4149.28	4894.90	3292.85
28	जैसलमेर	2279.80	2198.08	1797.65
29	बालोदरा	1573.38	1786.03	1181.09
30	फलौदी	960.69	1113.95	844.49
	योग	24270.33	27156.32	19701.01
31	पाली	4955.22	5875.34	4079.18
32	सिरोही	1977.36	2400.83	1671.42
33	जालोर	2343.24	1732.60	1246.52
34	मीनमाल	1321.65	2538.68	1895.81
35	आचूरोड़	2146.19	2456.53	2084.19
	योग	12743.66	15003.98	10977.12
36	उदयपुर	10443.78	11633.20	8725.13
37	झुगरपुर	1993.41	2432.39	1959.09
38	खंडपुर	3791.53	5065.74	3693.6
39	बांसवाड़ा	2303.81	2534.03	2310.88
40	राजसमन्द	3889.70	4465.84	2802.02
	योग	22422.23	26131.20	19490.72
41	चित्तोड़गढ़	6486.30	8089.35	5763.54
42	प्रतापगढ़	913.05	1217.82	850.37
43	मीलवाड़ा	7434.62	7396.52	4915.49
44	शाहपुरा	362.13	1513.75	1255.61
	योग	15196.10	18217.44	12785.01
45	कोटा	6309.65	8108.31	6109.31
46	बूढ़ी	2121.22	2349.79	1821.00
47	झालावाड़	2294.59	2690.58	1987.22
48	रामगंजमण्डी	888.09	1768.77	779.27
49	बारा	1600.62	1127.74	1516.13
	योग	13214.17	16045.19	12212.93
50	बीकानेर	7998.34	8378.47	5884.91
51	गोगालगढ़	5866.69	6552.44	4746.64
52	हुगानगढ़	3965.23	3758.12	2692.84
53	नोखा	672.75	1621.57	786.01
54	नोहर	764.88	1383.04	1295.64
	योग	19267.89	21693.64	15406.04
	जिला योग	217123.89	259857.05	188979.70
	रा.रा.प.प.नि.	22410.79	12287.11	7379.77
	नेश्वलन परमेट	10354.43	10836.42	8775.54
	वर्करी समायोजन	8.65	5.85	0
	महा योग	249897.76	282986.43	205135.01

सारणी – 14

परिवहन कर संग्रह केन्द्रों से प्राप्त राजस्व

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	परिवहन जिला	कर संग्रह केन्द्र का नाम	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 15 तक)
1	2	3	4	5	6
1	कोटपूली	गोनेडा	26.56	27.51	31.17
2	झुंझुनु	नावता की ढाणी	204.98	73.56	116.13
3	झुंझुनु	पिलोद	62.56	62.17	54.93
4	झुंझुनु	पीपली	22.21	13.01	10.96
5	अलवर	शाहजहांपुर	1719.43	1806.75	1578.94
6	अलवर	नारेडा कर्ला	18.70	20.74	16.50
7	अलवर	भिवाड़ी तावडू	46.31	57.27	37.18
8	अलवर	आकेडा मोड	24.67	33.55	21.98
9	अलवर	भिवाड़ी दारूहेड़ा	273.22	245.51	206.34
10	अलवर	राठीवास	10.21	38.77	44.25
11	अलवर	नोगांवा	17.38	23.28	21.12
12	भरतपुर	ऊंचा नंगला	1023.45	950.37	585.85
13	भरतपुर	रारह	332.31	398.28	325.87
14	भरतपुर	बहेज	27.99	31.13	18.68
15	भरतपुर	जुरेहरा / कामां	0.00	0.00	0.00
16	धौलपुर	बरेठा	78.36	76.28	55.00
17	धौलपुर	चम्बल ब्रिज	262.11	421.72	364.55
18	सिरोही	आधू रोड	374.58	392.99	332.51
19	सिरोही	मावल	441.61	460.37	392.47
20	सिरोही	मण्डार	171.17	177.31	140.01
21	जालौर	माखुपुरा	276.99	328.72	222.85
22	जालौर	मण्डार-डी	23.72	19.55	17.16
23	वित्तौडगढ़	गोमाना गोड	40.26	58.41	32.85
24	वित्तौडगढ़	निम्बाहेड़ा	762.81	470.32	401.08
25	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	5.99	104.28	70.04
26	झूंगरपुर	रतनपुर	1233.73	1337.34	1011.32
27	झूंगरपुर	सीमलवाड़ा	17.34	26.46	28.30
28	बांसवाड़ा	मोना झूंगर	40.12	47.27	95.92
29	बांसवाड़ा	दानपुर	22.02	21.06	18.23
30	झालावाड़	इकलेरा / तीनधार	47.69	87.20	44.26
31	झालावाड़	रायपुर	71.86	101.43	49.64
32	चुरू	राजगढ़	195.83	275.19	182.16
33	गंगानगर	साधुवाली	139.66	158.66	134.72
34	गंगानगर	पतली	79.65	78.76	43.50
35	हनुमानगढ़	भादरा	24.98	12.48	106.76
36	हनुमानगढ़	संगरिया	101.83	114.02	118.78
	योग		8222.29	8551.72	6932.02

सारणी – 15

प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों द्वारा अपीलों का निस्तारण
वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक)

क्र.सं.	रीजन	वर्ष के प्रारम्भ में शेष अपील	वर्ष के दौरान दायर अपील	योग (3+4)	अपीलों का निस्तारण	शेष अपील (5–6)
1	2	3	4	5	6	7
1	जयपुर	0	0	0	0	0
2	दौसा	0	3	3	0	3
3	सीकर	1	2	3	2	1
4	अलवर	0	2	2	2	0
5	भरतपुर	0	0	0	0	0
6	अजमेर	1	2	3	2	1
7	जोधपुर	1	1	2	2	0
8	पाली	6	0	6	0	6
9	उदयपुर	114	0	114	3	111
10	वित्तौड़गढ़	0	13	13	13	0
11	कोटा	0	4	4	4	0
12	बीकानेर	0	7	7	2	5
	योग	123	34	157	30	127

सारणी – 16

अपर परिवहन आयुक्त (कर) द्वारा रिवीजन का निस्तारण

क्र.सं.	वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में विचाराधीन रिवीजन	वर्ष के दौरान दर्ज मामले	योग (3+4)	वर्ष के दौरान निस्तारण	शेष (5–6)
1	2	3	4	5	6	7
1	1996–97	365	57	422	63	359
2	1997–98	359	66	425	352	73
3	1998–99	73	10	83	34	49
4	1999–00	49	34	83	10	73
5	2000–01	73	128	201	122	79
6	2001–02	79	22	101	86	15
7	2002–03	15	15	30	17	13
8	2003–04	13	37	50	9	41
9	2004–05	41	20	61	40	21
10	2005–06	21	27	48	20	28
11	2006–07	28	13	41	17	24
12	2007–08	24	7	31	3	28
13	2008–09	28	16	44	0	44
14	2009–10	44	28	72	21	51
15	2010–11	51	43	94	62	32
16	2011–12	32	22	54	8	46
17	2012–13	46	12	58	10	48
18	2013–14	48	3	51	48	3
19	2014–15	3	3	6	5	1
20	2015–16 (दिसम्बर 15 तक)	1	7	8	1	7

सारणी – 17											
घटित सङ्केत दुर्घटनायें											
(कलेण्डर वर्षवार)											
वर्ष	पंजीकृत वाहन (संचयी)	गत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	दुर्घटनायें	गत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	दुर्घटना प्रति 1000 वाहन	मृतक	गत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	मृतक प्रति 1000 वाहन	घायल	गत वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	घायल प्रति 1000 वाहन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1991	1172592		11043		9.42	3718		3.17	12281		10.47
1992	1292033	10.19	11851	7.32	9.17	3638	-2.15	2.82	13391	9.04	10.36
1993	1409061	9.06	12756	7.64	9.05	3821	5.03	2.71	15194	13.46	10.78
1994	1546596	9.76	13915	9.09	9.00	4129	8.06	2.67	16756	10.28	10.83
1995	1720990	11.28	16610	19.37	9.65	4863	17.78	2.83	20504	22.37	11.91
1996	1928572	12.06	18891	13.73	9.80	5430	11.66	2.82	24214	18.09	12.56
1997	2146741	11.31	19879	5.23	9.26	5620	3.50	2.62	25639	5.89	11.94
1998	2382241	10.97	20798	4.62	8.73	5622	0.04	2.36	26881	4.84	11.28
1999	2647979	11.15	21132	1.61	7.98	6010	6.90	2.27	26545	-1.25	10.02
2000	2888060	9.07	19932	-5.68	6.90	5388	-10.35	1.87	25433	-4.19	8.81
2001	3133277	8.49	19999	0.34	6.38	5187	-3.73	1.66	25994	2.21	8.30
2002	3418636	9.11	20571	2.86	6.02	5535	6.71	1.62	27119	4.33	7.93
2003	3740110	9.40	21933	6.62	5.86	6025	8.85	1.61	29079	7.23	7.77
2004	4156877	11.14	23243	5.97	5.59	6477	7.50	1.56	31345	7.79	7.54
2005	4629144	11.36	23115	-0.55	4.99	6793	4.88	1.47	29986	-4.34	6.48
2006	5206269	12.47	23348	1.01	4.48	7154	5.31	1.37	29794	-0.64	5.72
2007	5772480	10.88	23885	2.30	4.14	8143	13.82	1.41	31155	4.57	5.40
2008	6351744	10.03	23704	-0.76	3.73	8388	3.01	1.32	30857	-0.96	4.86
2009	6997531	10.17	25114	5.95	3.59	9045	7.83	1.29	32317	4.73	4.62
2010	7787493	11.29	24302	-3.23	3.12	9163	1.30	1.18	31033	-3.97	3.98
2011	8733560	12.15	23245	-4.35	2.66	9232	0.75	1.06	28666	-7.63	3.28
2012	9803283	12.25	22969	-1.19	2.34	9528	3.21	0.97	28135	-1.85	2.87
2013	10915451	11.34	23592	2.71	2.16	9724	2.06	0.89	27424	-2.53	2.51
2014	12102223	10.87	24628	4.39	2.03	10289	5.81	0.85	27453	0.11	2.27
2015	13350646	10.32	24072	-2.26	1.80	10510	2.15	0.79	26153	-4.74	1.96

जिलेवार सङ्क दुर्घटनायें वर्ष 2015

क्र.सं.	जिला	दुर्घटनायें	मृतक	घायल
1	2	3	4	5
1	जयपुर	4288	1446	3925
2	झुँझुनु	627	316	642
3	सीकर	956	499	1006
4	दौसा	823	365	918
5	अलवर	1367	600	938
6	बीकानेर	465	301	488
7	गंगानगर	381	244	379
8	चूरू	403	241	542
9	हनुमानगढ़	302	178	335
10	भरतपुर	576	294	487
11	धौलपुर	342	158	321
12	सवाई माधोपुर	440	133	534
13	करौली	294	124	324
14	अजमेर	1312	582	1282
15	भीलवाड़ा	974	369	1247
16	नागौर	598	393	694
17	टोंक	550	211	666
18	जोधपुर	1075	598	1046
19	जैसलमेर	150	99	241
20	बाड़मेर	470	284	541
21	जालोर	291	177	262
22	पाली	721	399	938
23	सिरोही	480	257	636
24	उदयपुर	1379	500	1711
25	चित्तौड़गढ़	663	261	776
26	प्रतापगढ़	232	112	336
27	झूंगरपुर	384	187	525
28	बांसवाड़ा	368	182	496
29	राजसमंद	494	230	613
30	कोटा	1073	256	1116
31	बूँदी	644	175	724
32	झालावाड़	514	170	733
33	बांरा	436	169	731
	योग	24072	10510	26153

सारणी – 19

उड़नदस्तों द्वारा किये गये कार्यों का विवरण

क्रम संख्या	मद	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16 (दिसम्बर 15 तक)
1	2	3	4	5
1	वाहन चैक किये	2144742	2707403	2059541
2	वाहनों के चालान बनाये	546537	650210	466526
3	वाहन सीज किये	38340	53985	46951
4	वसूल की गई राशि (रु. लाखों में)	29693.79	44213.95	26065.36

सारणी - 24

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण

(दिनांक 31.12.2015 तक)

क्र. सं.	रा.ज. मार्ग संख्या	रा.ज. मार्ग नव आवंटित संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग में आने वाले जिले	राहक की लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6
1	3	44	आगरा-धौलपुर-मुम्बई	धौलपुर	28.29
			योग		28.29
2	3 ए	123	ऊंचा नगला - खानुआ - रुपवास - धौलपुर योग	भरतपुर धौलपुर	35.15 25.00 60.15
3	8	48, 58	दिल्ली-जयपुर-अजमेर-उदयपुर अहमदाबाद	जयपुर अलवर अजमेर राजसमंद उदयपुर झुंगरपुर	210.90 35.00 138.00 156.00 107.00 34.00
			योग		680.90
4	11	21, 52, 11	आगरा-भरतपुर-दौसा-जयपुर- सीकर-बीकानेर	भरतपुर करौली दौसा जयपुर सीकर चूल बीकानेर	70.00 4.00 74.00 94.01 149.99 133.00 36.00
			योग		561.00
5	11ए	148	दौसा-मनोहरपुर वाया गठवाड़ी	दौसा जयपुर	16.00 46.25
			योग		62.25
6	11ए-विस्तार	148, 23	दौसा-लालसोट-कैथुन	दौसा टोक	62.00 20.93
			योग		82.93
7	11बी	23	लालसोट-गंगापुर-करौली-धौलपुर	दौसा धौलपुर करौली सवाई माधोपुर	17.00 80.00 51.00 39.00
			योग		187.00
8	11री		वन्दवाजी - जयपुर	जयपुर	28.00
			योग		28.00
9	12	52	जयपुर-टोक-बून्दी-कोटा- झालावाड़-इकलेरा-जबलपुर	जयपुर टोक भीलवाड़ा बून्दी कोटा झालावाड़	52.20 113.40 4.00 75.80 83.00 93.60
			योग		422.00
10	14	162, 62	ब्यावर-पाली-सिरोही-आबूरोड़- कांडला	अजमेर पाली सिरोही	7.00 178.00 121.38
			योग		306.38
11	15		पठानकोट-गंगानगर-बीकानेर- जैसलमेर-बाड़मेर-कांडला	गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जालौर जोधपुर	124.00 218.85 195.15 192.00 38.00 110.00
			योग		878.00

सारणी — 24 (निरन्तर)					
राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण					
(दिनांक 31.12.2015 तक)					
क्र. सं.	रा.उ. मार्ग संख्या	रा.उ. मार्ग नव आवृत्ति संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग में आने वाले ज़िले	सङ्केत की लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6
12	32ए	709—विरतार	हरियाणा सीमा —पिलानी	झुंझुनू	25.20
			राजगढ़	चूरू	35.80
			योग		61.00
13	65	52, 58, 62	अम्बाला—पाली—चूरू—फतेहपुर—	सीकर	62.00
			नागौर—जोधपुर—पाली	दूरु	191.90
				नागौर	158.00
				जोधपुर	107.40
				पाली	40.70
			योग		560.00
14	65ए	458	लाभनू (एन एच — ८५)	नागौर	158.00
			खाटू — डेगाना — नेहतासिठी	पाली	88.00
			लाभिया—जैतारण—रायपुर—भीम	राजसगंद	2.00
			योग		248.00
15	71 बी	919	रिवड़ी—दारूहेरा	अलवर	5.00
			योग		5.00
16	76	27	पिण्डवाडा—उदयपुर—वितौड़गढ़—	सिरोही	22.00
			कोटा—गिवधुरी	उदयपुर	142.00
				वितौड़गढ़	131.00
				भीलवाड़ा	42.00
				बून्दी	32.00
				कोटा	66.00
				बांरा	143.00
			योग		578.00
17	78	48	अजमेर—नसीराबाद—वितौड़गढ़—नीमच	अजमेर	64.00
				भीलवाड़ा	87.00
				वितौड़गढ़	70.40
			योग		221.40
18	79 ए	448	किशनगढ़—नसीराबाद	अजमेर	38.00
			योग		38.00
19	89	58, 62	अजमेर—नागौर—बीकानेर	अजमेर	33.00
				नागौर	171.00
				बीकानेर	74.00
			योग		278.00
20	90	752	बांरा—इकलेश	बांरा	89.00
				झालावाड़	4.50
			योग		93.50
21	112	25	बर—विलाड़ा—जोधपुर—बालोतरा—बाड़मेर	बाड़मेर	155.11
				जोधपुर	137.00
				पाली	33.29
			योग		325.40
22	113	56	निम्बाहेड़ा—प्रतापगढ़—बांसवाड़ा—	वितौड़गढ़	18.00
			जहलोड़—दाहोद	प्रतापगढ़	82.00
				बांसवाड़ा	125.00
			योग		225.00
23	114	125	जोधपुर—पोकरण	जोधपुर	152.50
				जैसलमेर	23.50
			योग		176.00
24	116	552	टोक—सवाई गाथोपुर	सवाई गाथोपुर	15.00
				टोक	63.00
			योग		78.00

सारणी - 24 (निरन्तर)						
राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण						
(दिनांक 31.12.2015 तक)						
क्र. सं.	राज्य. मार्ग संख्या	राज्य. मार्ग नव आवंटित संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग में आने वाले ज़िले	सड़क की लम्बाई (कि.मी.)	
1	2	3	4	5	6	
25	76 ए	58-विस्तार	उदयपुर-जहलोड़-ईडर	उदयपुर	108.00	
			योग		108.00	
26	76 बी	758	लाल्हपुरा-भीलवाड़ा-राजसमन्द	भीलवाड़ा	121.00	
				राजसमन्द	35.00	
			योग		156.00	
27	94 ए	927-ए	एग.पी बोर्डर-बांसवाड़ा-सागवाड़ा-झूंगरपुर-खेरवाड़ा-कोटड़ा-रवरुपगंज	बांसवाड़ा	85.00	
				झूंगरपुर	79.00	
				उदयपुर	124.00	
				सिरोही	25.00	
			योग		313.00	
28	116 ए	148-छी	गीग-गुलाबपुरा-जहाजपुर-हिण्डौली	भीलवाड़ा	159.00	
			-उनियारा	बून्धी	87.00	
				टोक	10.00	
			योग		256.00	
29	162 ए	162 ए	मावली-खंडेल-दाया फतेहनगर-रेलमगरा	उदयपुर	20.20	
				राजसमन्द	30.80	
			योग		51.00	
30	186 ए	158	गेड़ता-लाभिया-रास-व्यावर	नागौर	0.00	
			-बदगौर-आसिन्द-माडल	अजमेर	14.80	
				पाली	38.00	
				भीलवाड़ा	85.20	
			योग		138.00	
31	192 ए	162-विस्तार	पाली-मारवाड़-नाडोल-ऐसुरी-कुम्भलगढ़	उदयपुर	94.00	
			-गाथद्वारा-मावली-भटेवर	राजसमन्द	76.00	
				पाली	66.00	
			योग		236.00	
32		248-ए	शाहपुरा-अलवर-रामगढ़-नुह-गुडगाव	जयपुर	24.40	
				अलवर	103.20	
			योग		127.60	
33		325	पचपदरा-बालीतरा-सिवाना-जालौर-आहौर-	बाडमेर	77.00	
				जालौर	63.00	
				पाली	19.00	
			योग		159.00	
34		11	फतेहपुर-झुंझुनू-विआवा-सिंधाना-नारनौल-	सीकर	22.00	
				झुंझुनू	107.00	
			योग		129.00	
35		54	पठानकोट-गुरदासपुर-अमृतसर-भटिण्डा-	हनुमानगढ़	75.00	
			योग		75.00	
36		25-विस्तार	बाडमेर-रामसर-मुनाबाब	बाडमेर	127.00	
			योग		127.00	
37		168	थाराड़-धनाना-पंथवाड़ा-रेवदर-अन्दारा-	सिरोही	77.40	
			योग		77.40	
38		168-ए	रांचोर-धारोर-दीसा	जालौर	11.80	
			योग		11.80	
			महायोग		8149.00	

सारणी – 25

संयुक्त सघन जांच अभियान – वर्ष 2014–15

क्र. सं.	रीजन	वाहन चैक	चालान बनाये	बिना रजिस्ट्रेशन	बिना परमिट	परमिट शर्तों का उल्लंघन	ओवर लोडिंग	सीज वाहन	प्राप्त राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जयपुर (द.)	34845	10733	151	121	2976	6246	2282	842.32
2	जयपुर (उ.)	16110	3720	115	91	613	2069	671	464.09
3	दौसा	11383	8088	293	454	1191	4879	1852	521
4	सीकर	3791	6399	61	183	146	5415	317	615
5	अलवर	196800	78476	0	0	69482	8993	306	2333
6	भरतपुर	23715	26320	29	2	4398	19297	767	2303
7	अजमेर	148662	31383	224	690	5129	24327	4965	4007
8	जोधपुर	13836	2836	22	46	325	1535	771	100
9	पाली	154657	57450	19	4	22712	21269	582	685
10	उदयपुर	393051	122854	38	82	118463	2626	161	3142
11	चित्तौड़गढ़	55949	19110	166	27	8000	7870	2284	996
12	कोटा	5162	6904	29	79	941	4379	482	260
13	बीकानेर	60663	16735	999	1090	793	12196	3202	1721
योग		1118624	391008	2146	2869	235169	121101	18642	17987.36

सारणी – 26

संयुक्त सघन जांच अभियान

वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक)

क्र. सं.	जिला	वाहन चैक	चालान बनाये	बिना परमिट	बिना रजिस्ट्रेशन	परमिट शर्तों का उल्लंघन	ओवर लोडिंग	सीज वाहन	प्राप्त राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जयपुर	69310	14560	407	105	6264	6699	3326	930.84
2	दौसा	19690	6379	449	718	1339	2559	2261	489.38
3	सीकर	18139	6422	398	302	818	2677	1085	388.13
4	अलवर	122293	36206	17	7	35091	696	40	677.11
5	भरतपुर	32547	16722	44	88	5843	7144	512	1270.02
6	अजमेर	63739	18834	1191	195	3814	8294	5079	1464.43
7	जोधपुर	23807	3590	81	80	689	835	636	125.61
8	पाली	84287	42282	19	27	18865	12046	864	391.89
9	उदयपुर	288311	70977	114	24	63738	2644	818	2349.64
10	वित्तौडगढ़	85235	32001	113	214	20001	5955	2621	951.26
11	कोटा	2028	2015	26	80	632	865	211	59.00
12	बीकानेर	69960	17912	1169	1471	2177	8747	2973	1104.54
	योग	879346	267900	4028	3311	159271	59161	20426	10201.86

